हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

<u>कार्यसूची</u>

ग्यारहवां सत्र

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1947(शक्)

<u>2:00 बजे (अपराह्न)</u>

1. **प्रश्नोत्तर:-**

   (1) **तारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

   दिन के लिए } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

   श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएगें :**

   (1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

   (i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (वित्त लेखे खण्ड-I एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;

   (ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार; और

   (iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए (अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) हिमाचल प्रदेश सरकार।

   (2) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

   (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन, 2024-25;

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2024, जोकि अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए(1)19/2008-III-1073-1229-लूज, दिनांक द्वारा 23.01.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 28.01.2025 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2025, जोकि अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए(1)18/2008-लूज-II-1790-1992, दिनांक द्वारा 11.02.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.02.2025 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025, जोकि अधिसूचना संख्या: पीसीएच-ए(1)18/2008 -III-23660-23862, दिनांक द्वारा 14.08.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 18.08.2025 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए(1)18/2008-III-14731-923, दिनांक द्वारा 21.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 23.03.2026 को प्रकाशित।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2025-26),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **48वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **49वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(3) समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 31-जनजातीय विकास विभाग** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(2) **श्री आशाीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2025-26),** समिति का **17वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 5-भू-राजस्व व जिला प्रशासन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित तथा **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री संजय अवस्थी, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2025-26),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **34वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 8**-शिक्षा के अन्तर्गत उच्चतर **शिक्षा विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(2) समिति का **35वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 9**-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत **आयुष विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

(4) **श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2025-26),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(2) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 28-नगर एवं ग्राम योजना विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(3) समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 10-लोक निर्माण विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

5) **श्री राम कुमार, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2025-26),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **16वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या:16** के अन्तर्गत वन और वन्य जीवन विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित **षष्टम् मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग** की गतिविधियों/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है;

(3) समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 11-कृषि विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(4) समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 14-पशुपालन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान:

वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

6. विधायी कार्य:

(I) सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3)	लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** प्रस्ताव करेगें कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 4)	लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 3)	हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगें कि विधेयक को पारित किया जाए।

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 28 मार्च, 2026 सचिव।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)
बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 8 –शिक्षा

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	8

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"शिक्षा"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. **श्री जय राम ठाकुर**
2. **श्री बिक्रम सिंह**
3. **श्री सुख राम चौधरी**
4. **श्री विनोद कुमार**
5. **श्री रणधीर शर्मा**
6. **श्रीमती रीना कश्यप**
7. **डॉ जनक राज**
8. **श्री पूर्ण चन्द ठाकुर**
9. **डॉ हंस राज**
10. **श्री लोकेन्द्र कुमार,**

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की शिक्षा संस्थानों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 28.03.2026

सचिव,
विधान सभा।

*****

सूची सं0-3

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 9 —स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	**9**

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

"स्वास्थ्य और परिवार कल्याण"

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. **श्री जय राम ठाकुर**
2. **श्री विपिन सिंह परमार**
3. **श्री अनिल शर्मा**
4. **श्री बिक्रम सिंह**
5. **श्री सुख राम चौधरी**
6. **डॉ हंस राज**
7. **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल**
8. **श्री विनोद कुमार**
9. **श्री रणधीर शर्मा**
10. **श्री बलबीर सिंह वर्मा**
11. **श्री सुरेन्द्र शौरी**
12. **श्री राकेश जम्वाल**
13. **श्री इन्द्र सिंह गांधी**
14. **श्री प्रकाश राणा**
15. **श्री जीत राम कटवाल**
16. **श्रीमती रीना कश्यप**
17. **श्री पूर्ण चन्द ठाकुर**
18. **डॉ जनक राज**
19. **श्री लोकेन्द्र कुमार**
20. **श्री दीप राज**
21. **श्री दलीप ठाकुर**
22. **श्री त्रिलोक जम्वाल**
23. **श्री पवन काजल,**

1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की शहरी स्वास्थ्य सेवाएं की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004. **सचिव,**

दिनांक 28.03.2026 **विधान सभा।**

*****

सूची सं0-4

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)
बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 10 –लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	10

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. **श्री जय राम ठाकुर**
2. **श्री अनिल शर्मा**
3. **श्री बिक्रम सिंह**
4. **श्री सुख राम चौधरी**
5. **डॉ हंस राज**
6. **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल**
7. **श्री विनोद कुमार**
8. **श्री रणधीर शर्मा**
9. **श्री इन्द्र सिंह गांधी**
10. **श्री बलबीर सिंह वर्मा**
11. **श्री जीत राम कटवाल**
12. **श्री प्रकाश राणा**
13. **श्रीमती रीना कश्यप**
14. **श्री लोकेन्द्र कुमार**
15. **श्री दीप राज**
16. **श्री पवन काजल**
17. **श्री राकेश जम्वाल**
18. **डॉ जनक राज,**

1. सरकार की सड़कों, पुलों एवं भवनों के निर्माण मरम्मत एवं रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की मशीनरी तथा उपकर की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.　　　　　　　　　　सचिव,
दिनांक 28.03.2026　　　　　　　　　विधानसभा।

*****

सूची सं0-5

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 11 —कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"कृषि"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	11

1. **श्री जय राम ठाकुर**
2. **श्री बिक्रम सिंह**
3. **श्री सुख राम चौधरी**
4. **डॉ हंस राज**
5. **श्री रणधीर शर्मा**
6. **श्री बलबीर सिंह वर्मा**
7. **श्री लोकेन्द्र कुमार**

1. सरकार की मुख्य मन्त्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 28.03.2026

सचिव,
विधान सभा।

****

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2026-27 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 —सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	13

1. **श्री जय राम ठाकुर**
2. **श्री अनिल शर्मा**
3. **श्री बिक्रम सिंह**
4. **श्री सुख राम चौधरी**
5. **डॉ हंस राज**
6. **श्री विनोद कुमार**
7. **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल**
8. **श्री इन्द्र सिंह गांधी**
9. **श्री रणधीर शर्मा**
10. **श्री बलबीर सिंह वर्मा**
11. **श्री सुरेन्द्र शौरी**
12. **श्री लोकेन्द्र कुमार**
13. **श्री दलीप ठाकुर**

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई एवं जलापूर्ति नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004. **सचिव,**
दिनांक 28.03.2026 **विधान सभा।**

*****